# न्यायालय भू प्रबन्ध अधिकारी पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी भरतपुर कैम्प धौलपुर

पीठासीन अधिकारी :– श्री अनिल कुमार वार्ष्णेय (आर0ए0एस0)

**अपील संख्या :– 52/2016 (223 आर0टी0एक्ट0)**

उनवान

1. मंगल सिंह
2. माताप्रसाद
3. शोभाराम
4. लक्ष्मण सिंह
5. ईश्वरी प्रसाद

} पुत्रगण बिहारीलाल

6. गोपाल
7. रामअवतार
8. मेवाराम
9. रामचन्द्र

} पुत्रगण मंगल सिंह

10. गजुआ
11. शिवदत्त

} पुत्रगण शोभाराम

12. श्रीराम
13. जयराम

} पुत्रगण लक्ष्मण

14. रामबरन
15. राकेश

} समस्त जातिगण लोधा, निवासीगण ग्राम अतरौली तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर (राज0)

....................अपीलान्ट

**बनाम**

1. पृथ्वी सिंह
2. उमेद सिंह

} पुत्रगण दीवान सिंह

3. शिव सिंह
4. महेन्द्र सिंह

} पुत्रगण बहादुर सिंह

} समस्त जातिगण लोधा नि0 ग्राम अतरौली तह0 राजाखेडा जिला धौलपुर।

.................... रैस्पोडेण्ट

**अपील संख्या :– 53/2016 (223 आर0टी0एक्ट0)**

सत्यमेव जयते

उनवान

1. मंगल सिंह
2. माताप्रसाद
3. शोभाराम
4. लक्ष्मण सिंह
5. ईश्वरी प्रसाद

} पुत्रगण बिहारीलाल जातिगण लोधा निवासीगण ग्राम अतरौली तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

Web Copy - Not Official

**बनाम**

1. अर्जुन सिंह
2. पृथ्वी सिंह उर्फ पित्त सिंह
3. उम्मेद सिंह

} पुत्रगण दीवान सिंह

4. महेन्द्र सिंह
5. शिव सिंह

} पुत्रगण बहादुर सिंह

6. सुरेन्द्र सिंह पुत्र पृथ्वी सिंह उर्फ पित्त सिंह

} समस्त जातिगण लोधा निवासी ग्राम अतरौली तहसील राजाखेडा जिला धौलपुर।

अपील विरूद्ध आदेश दिनांक 30.06.2016 प्रकरण संख्या 85/2013 वउनवानी पृथ्वी सिंह बनाम मंगल सिंह एवं 59/2012 वउनवानी मंगल सिंह बनाम अर्जुन सिंह, न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा

उपस्थित :–

1. श्री योगेश कुमार शर्मा एडवोकेट अपीलाण्ट ।
2. श्री किशन सिंह त्यागी एडवोकेट रैस्पो0 ।

निर्णय दिनांक :–16.11.2017

1. यह दोनों अपीलें इस न्यायालय में उपखण्ड अधिकारी राजाखेडा के निर्णय दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गयी हैं। चूंकि दोनों अपीलो के तथ्य व पक्षकार एक ही हैं, इसलिए दोनों अपीलों को एक ही निर्णय से निस्तारित किया जा रहा है। निर्णय की एक–एक प्रति दोनों पत्रावलियों में शामिल की जावें।

2. वाद सख्या 85/2013 अधीनस्थ न्यायालय में रैस्पो0/वादीगण द्वारा अन्तर्गत धारा 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 485/20 वाके ग्राम अतरौली तहसील राजाखेडा, रैस्पो0/वादीगण की संयुक्त खातेदारी की आराजी है। उक्त आराजी को रैस्पो0/वादीगण कृषि उपयोग–उपभोग के अलावा कृषि उपयोगी सामान रखने, पशु बांधने एवं सिचाई करने के बोरिंग, निवास आदि के काम में लेते हैं एवं विवादित आराजी पर रैस्पो0/वादीगण की पुख्ता तिवरिया टीन सैड, छप्पर, बिटोरा आदि बने हुए हैं। अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण का विवादित आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है एवं ना ही कभी रहा है। किन्तु अपीलाण्ट/प्रतिवादीगण गिरोहबन्द लोग हैं, जिन्हें राजनैतिक संरक्षण प्राप्त है तथा बलवान एवं प्रभावशाली लोग हैं, जो आये दिन रैस्पो0/वादीगण एवं परिवारजनों को परेशान व झगडा फसाद करते रहते हैं एवं रैस्पो0/वादीगण की आधिपत्य उपयोग–उपभोग की सम्पत्तियों को हडपने की फिराक में रहते हैं। अतः अपने हितो की रक्षार्थ, वाद प्रस्तुत कर स्थायी निषेधाज्ञा का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, राजस्व लोक अदालत में अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2016 से डिक्री कर दिया।

3. वाद संख्या 59/2012 अपीलाण्ट/वादीगण द्वारा अधीनस्थ न्यायालय में अन्तर्गत धारा 188, 183 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 विरूद्ध रैस्पो0/प्रतिवादीगण इस आशय का पेश किया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 484/20 रकवा 02 विस्वा 491/38 रकवा 01 विस्वा वाके ग्राम अतरौली के अपीलाण्ट/वादीगण तन्हा खातेदार काश्तकार हैं। रैस्पो0/प्रतिवादीगण का उक्त आराजी से कोई संबंध सारोकार नहीं है। अपीलाण्ट/वादीगण ने आराजी खसरा नम्बर 484/20 में अपनी लागत व व मेहनत से एक पुख्ता कुँआ तैयार कराया है, जिस पर बोरिंग हो रही है एवं बिटोरा, डीजल ईंधन आदि रखा हुआ है एवं एक पक्की तिवरिया बना हुई है।

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

रैस्पो0/प्रतिवादीगण एक लठैत किस्म के व्यक्ति हैं, जो लट्ठ चलाना जानते हैं एवं अपीलाण्ट/वादीगण से रंजिश रखते हैं। रैस्पो0/प्रतिवादीगण लट्ठ के बल पर अपीलाण्ट/वादीगण की उक्त आराजी को हडपना चाहते हैं। अतः वाद प्रस्तुत कर रैस्पो0/प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा पाबंद किये जाने एवं दौराने वाद रैस्पो0/प्रतिवादीगण के विवादित आराजी पर जबरन अवैध कब्जा करने में सफल हो जाने पर, उन्हें बेदखल कर डिक्री किये जाने का अनुतोष चाहा। अधीनस्थ न्यायालय ने उक्त वाद, राजस्व लोक अदालत में अपीलाधीन आदेश से खारिज कर दिया।

4. उक्त दोनों निर्णय एवं डिक्री दिनांक 30.06.2016 के विरूद्ध, वर्तमान दोनों अपीलें क्रमशः 52/2016 उनवान मंगल सिंह बनाम पृथ्वी सिंह तथा 53/2016 उनवान मंगल सिंह बनाम अर्जुन सिंह प्रस्तुत हुई हैं।

5. अपीलें प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्ट व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई। दोनों पक्षों के अधिवक्तागण की बहस सुनी गई।

6. विद्वान अधिवक्ता अपीलाण्ट ने अपील संख्या 52/16 की बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि अपीलाधीन निर्णय व डिक्री तथ्यों एवं विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय व डिक्री पारित करने से पूर्व, अपीलाण्ट को सुनवाई हेतु कोई सूचना नहीं दी एवं ना ही जवावदेही का मौका ही प्रदान किया गया है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैम्प मुरैना में अपीलाण्ट की सहमति के बिना ही विधिक प्रावधानों को ताक पर रखते हुए अपीलधीन निर्णय पारित किया है। रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में खसरा नम्बर 485/20 रकवा 03 विस्वा वाके ग्राम अतरौली के सम्बन्ध में मात्र स्थाई निषेधाज्ञा का अनुतोष मॉगा था। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने विधिक प्रावधानों को ताक पर रखते हुए वाद पत्र के विरूद्ध निर्णय पारित किया है। अपीलाण्ट संख्या 01 लगायत 5 की खातेदारी के खसरा नम्बर 484/20 रकवा 02 विस्वा पर विधिवत रूप से हुई तरमीम को अस्पष्ट अंकित करते हुए तथा निरस्त करते हुए, नक्शे में तरमीम के आदेश प्रदान कर दिये, जो विधिक प्रावधानों के सर्वथा विपरीत हैं।

7. अपील संख्या 53/2016 की बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि रैस्पो0 ने अधीनस्थ न्यायालय में हाजिर अदालत होकर अपनी ओर से जबाब व काउन्टर क्लेम प्रस्तुत किया तथा अपने जबाब व काउन्टर क्लेम में अपीलाण्ट को पाबन्द कराने हेतु अनुतोष मांगा था तथा पत्रावली कायमी तनकीयात में लम्बित थी। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने बिना साक्ष्य के अपीलाधीन आदेश दिनांक 30.06.2016 से अपीलाण्ट/वादीगण का दावा खारिज करने में कानूनी भूल की है। अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत कैम्प शिविर मुरैना में मनमाने तरीके से लोक अदालत की भावना के विपरीत अपीलधीन निर्णय व डिक्री पारित की है। लोक अदालत में पक्षकारों का सहमति व उपस्थित होना अनिवार्य है। किन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाण्ट की सममति लिये बिना तथा पक्षकारों की अनुपस्थिति में विधि विरूद्ध निर्णय पारित किया है, जो काबिल खारिजी है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक नजीर आर0आर0टी0 2010(2) पेज 1284, 2011(2) पेज 1340, 2016—17 (सप्ली0) पेज 206, 2012(2) पेज 1079 व

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

1358 का हवाला देते हुए, दोनों अपील अपीलाण्ट स्वीकार की जाकर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री दिनांक 30.06.2016 को निरस्त किया जावें एवं प्रकरण अधीनस्थ न्यायालय को प्रतिप्रेषित किये जाने का निवेदन किया।

8. विद्वान अधीवक्ता रैस्पो0 अर्जुन सिंह एवं पृथ्वी सिंह ने अपनी बहस में तर्क प्रस्तुत किये कि विवदित आराजीयात की नक्शा में जो तरमीम हो रही है उसके मुताबिक अपीलाण्ट खातेदार काश्तकार एवं आधिपत्यधारी नहीं है एवं विवादित आराजी में अपीलाण्ट का कोई पुख्ता कुँआ नहीं है एवं ना ही कोई कुँआ उनके द्वारा तैयार कराया गया है। विवादित आराजी पर रैस्पो0 का पूर्व से ही बोरिंग लगा हुआ है, जिस पर अपीलाण्ट जबरन कब्जा करने चाहते हैं। विवादित आराजी से अपीलाण्ट का कोई संबंध सारोकार नहीं है। अपीलाण्ट ने मिथ्या साक्ष्य सृजित कर दावा पेश किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने पूर्ण जॉच कर, उचित ही अपीलाधीन आदेश पारित किया है। इसके अतिरिक्त उनका यह भी कथन है कि राजस्व लोक अदालत में पारित निर्णय की अपील लाई नहीं करती है। अपने तर्को के समर्थन में न्यायिक दृष्टान्त आर0आर0डी0 1963(एच0सी0) पेज 250, आर0एल0डब्ल्यू 2012(2) पेज 1847, आर0आर0टी0 2013(2) पेज 1241, 2015(1) पेज 608 का हवाला देते हुए, अपील अपीलाण्ट खारिज किये जाने का निवेदन किया।

9. पत्रावलियों का अवलोकन किया तथा बहस उभयपक्ष पर मनन किया। अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपीलों में प्रमुखता से यह आपत्ति जाहिर की गई है कि अधीनस्थ न्यायालय ने राजस्व लोक अदालत शिविर मरैना में मनमाने तरीके से लोक अदालत की भावना के विपरीत, उनकी अनुपस्थिति में, बिना सुनवाई व साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर दिये पारित किया है। अधीनस्थ न्यायालय की आदेशिका दिनांक 02.06.2016 के अवलोकन से जाहिर है कि पेशी दिनांक 02.06.2016 को प्रतिवादीगण की ओर से जबाब क्लेम बेदखली पेश किया गया एवं प्रकरण वास्ते कायमी तनकीयात, आगामी पेशी दिनांक 21.07.2016 निर्धारित की गई थी। किन्तु अपीलाधीन आदेश इससे पूर्व दिनांक 30.06.2016 को राजस्व लोक अदालत में पारित किया गया है एवं अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व पक्षकारों को सुनवाई हेतु, कोई जारी शुदा नोटिस अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली में संलग्न नहीं है। प्रकरण पेशी दिनांक 21.07.2016 को वास्ते कायमी तनकियात हेतु निर्धारित था। अतः पक्षकारों में राजीनामा के बिना प्रकरण का निस्तारण, बिना तनकी निर्णित किये सम्भव नहीं हो सकता। लोक अदालत में प्रस्तुत पक्षकारों के मध्य सहमति/राजीनामा पत्रावली में उपलब्ध नहीं है, जिससे यह स्पष्ट हो कि पक्षकारों की सहमति से प्रकरण राजस्व लोक अदालत में वास्ते निर्णय हेतु रखा गया। इसके अतिरिक्त कथित मौका रिपोर्ट तहसीलदार दिनांक 28.06.2016 पक्षकारों की उपस्थिति में तैयार होना नहीं पाया जाता है एवं ना ही न्यायालय में उक्त रिपोर्ट का परीक्षण हेतु पक्षकारों को अवसर दिया गया है। उक्त रिपोर्ट प्रथमतः I/C पटवारी लालपुर द्वारा तैयार है, जिस पर तहसीलदार राजाखेडा स्पष्ट रिपोर्ट करे पृष्ठाकिंत है। इस पृष्ठाकंन की पालना में रिपोर्ट किसने अंकित की है, वह स्पष्ट नहीं है। उपरोक्त विवेचनानुसार हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते हैं कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन निर्णय राजस्व लोक अदालत की हडबडी में बिना

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायिक प्रक्रिया पालन किये जल्दबाजी में पारित किया है। लिहाजा अपील अपीलाण्ट आंशिक स्वीकार योग्य पाते हैं।

10. अतः आदेश है कि दोनों अपील अपीलण्ट आंशिक स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा के आदेश दिनांक 30.06.2016 निरस्त किये जाते हैं एवं प्रकरण इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता है कि उभयपक्ष को सुनवाई व साक्ष्य का अवसर प्रदान करते हुए, पुनः विधिसम्मत निर्णय पारित करें। उभयपक्षकारान को भी निर्देशित किया जाता है कि वह अधीनस्थ न्यायालय में दिनांक 20.12.2017 को उपस्थित होवें। दोनों पत्रावली फैशल शुमार की जाकर नम्बर से कम की जावें तथा बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर होवें। अधीनस्थ न्यायालय का अभिलेख, निर्णय की प्रति के साथ लौटाया जावें।

11. निर्णय आज दिनांक 16.11.2017 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(अनिल कुमार वार्ष्णेय)
भू प्रबन्ध अधिकारी
पदेन
राजस्व अपील प्राधिकारी
भरतपुर कैम्प धौलपुर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official